

सं. ई-14019/1/2021/हिन्दी/डीजीएचएस/1921-1950

भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय  
(हिन्दी अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली  
दिनांक: 09/03/2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में हिन्दी कार्यशाला के आयोजन के संबंध में।

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली में दिनांक 15 मार्च, 2022 (मंगलवार) को प्रातः 10:30 बजे से 3:45 बजे (अपराह्न) तक एक पूर्णदिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के समिति कक्ष, कमरा सं. 245-ए, निर्माण भवन, नई दिल्ली में नीचे दिए गए कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी:

तिथि/सत्र का समय	अतिथि वक्ता व विषय	प्रतिभागी
15.03.2022 (मंगलवार) प्रथम सत्र समय: प्रातः 10.30 बजे से 11.45 बजे तक।	श्री सौरभ आर्य, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, इस्पात मंत्रालय विषय : कंप्यूटर पर फोनेटिक टाईपिंग तथा हिन्दी में नोटिंग व ड्राफ्टिंग।	स्वा. सेवा महानिदेशालय के निम्नलिखित 13 अनुभाग के प्रतिभागी: प्रशा 1, प्रशा 2, सामान्य अनुभाग, आरडी, रोकड 1, पीएचआईएच, कुष्ठ, एम एच 1, नर्सिंग, ईपीआई, एमजी, ड्रग नियंत्रण तथा एनसीडी।
15.03.2022 (मंगलवार) दूसरा सत्र समय: 12 बजे से अपराह्न 1.15 बजे तक।	-वही-	स्वा. सेवा महानिदेशालय के निम्नलिखित 13 अनुभाग के प्रतिभागी: रोकड 2, एमएच 2, एमएच 3, प्रशा. एवं सतर्कता, एमई प्रकोष्ठ, पीएचसीडीएल, आईडीडी, एमई अनुभाग, ओएंडएम, सीबीएचआई, एनएमएल, सीएचईबी तथा एमएसओ
15.03.2022 (मंगलवार) तीसरा सत्र समय : 2.30 बजे से 3.45 बजे तक।	श्रीमती लक्ष्मी गर्ग, सहायक निदेशक (रा.भा.) विषय : तिमाही रिपोर्ट को उचित प्रकार से भरना।	स्वास्थ्य महानिदेशालय के सभी अनुभागों के प्रभारी अधिकारी।

2. अतः कृपया उपर्युक्त हिन्दी कार्यशाला के लिए अपने अधीन अनुभागों के अनुभाग अधिकारी/प्रभारी की अनिवार्य प्रतिभागिता सुनिश्चित करवाएं।

चंद्रशेखर प्रसाद

(चन्द्रशेखर प्रसाद)

निदेशक (सीएसपी)

दूरभाष सं. 011-23062940(कार्यालय),

ईमेल : csp114@gmail.com

1. सभी उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय।
2. सभी अनुभाग अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

- (i) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
- (ii) संयुक्त सचिव (आरएम), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय।
- (iii) निदेशक (सीएसपी), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय।